(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक समान नीति का अनुसरण किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने और उन पर सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए 1975 में और सैनिक अफसरों के लिए 1976-1977 में सेवानिवृत्ति पेंशन की दरें संशोधित की गई थीं। परन्तु संशोधित दरें उन सभी सैनिक कार्मिकों पर लागू कर दी गई थीं जो 1-1-1973 को अथवा उसके बाद प्रभावी हो गए हैं। इस तरह से उन सैनिक कार्मिकों की पेंशन में कोई अन्तर नहीं है जो 1-1-1973 को अथवा उसके बाद किसी अन्य तारीख को सेवानिवृत्त हुए हैं।

चूंकि पेंशन की संशोधित दरें 1-1-1973 से लागू उन नए वेतन-मानों पर आधारित हैं जो तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने पर लागू किए गए थे इसलिए ये प्रत्यक्षतः 1-1-1973 से पहले संशोधित पूर्व वेतन-मानों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन की दरों की तुलना में अधिक हैं। पेंशन की पुरानी और संशोधित दरें सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 2022/78]।

(ग) पेंशन को वेतन और सेवावधि से जोड़ने के बुनियादी सिद्धान्त का पालन किया गया है।

गया काटन एण्ड जूट मिल में तकुओं और करघों की संख्या

5785. श्री एम० एल० पी० सिन्हा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गया काटन एण्ड जूट मिल में कुल कितने तकुए और करघे हैं और इस समय कितने करघे और तकुवे काम कर रहे हैं ;

(ख) भारत सरकार द्वारा इस मिल को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इस मिल पर उसने कितनी राशि खर्च की और इसमें कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस मिल का पूरा विस्तार करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) गया कोटन एण्ड जूट मिल गया की अधिष्ठापित क्षमता 19,200 तकुवे और 536 करघों की है। 31 दिसम्बर, 1977 को इस मिल की चालू क्षमता 12,500 तकुवे व 144 करघों की थी।

(ख) अभी तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस मिल में लगभग 170.36 लाख रुपये की राशि का विनियोजन किया गया है। मिल में प्रतिदिन औसतन 768 कामगरों को काम दिया जाता है।

(ग) आधुनिकीकरण योजना जिसमें अन्य बातों के साथ साथ मिल की तकुवे की क्षमता बढ़ाने के बारे में भी उल्लेख किया गया है, अभी विचाराधीन है।

Berthing Facilities for Vessels carrying Cement

5766. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether he is aware of reports of delay in berthing facilities for vessels carrying cement at various ports;

(b) if so, whether there has been substantial loss in foreign exchange due to mounting demurrage; and

(c) the action taken in the matter to remedy the situation?